

Emmy

29/03/16

जिलाधिकारी कार्यालय, दरभंगा

11 MAR 2016

पृष्ठांकन सं... 2189

पत्र सं-3/एम0 37/2015 सा0प्र0-3815/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अपना

प्रेषक,

श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, मा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।  
सभी विभागाध्यक्ष।  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।

Rg  
17/3

पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2016

विषय:- सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

विभागीय संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2010 (सहपठित संकल्प सं0-2804 दिनांक 29.03.2010) में सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने के संबंध में दिशानिर्देश प्रावधानित हैं। फिर भी ऐसे सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु चयन समितियों की सुविधा के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किये जाते हैं जिनके आधार पर चयन समितियों द्वारा संलग्न अनुसूची-1 में दी गयी अंक तालिका के अनुसार अंक दिये जा सकेंगे।-

2-63/16  
श्री योगेन्द्र साहू  
रक्षी सचिव  
मै  
तदनुसार कार्यवाही

संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष से सेवा निवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों को उसी विभाग के उसी पद हेतु चयन में प्राथमिकता दी जा सकेगी। परंतु एक ही विभाग से एक से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वैसे अभ्यावेदकों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जिनका संबंधित विभाग/कार्यालय में संबंधित पद पर कार्यानुभव अधिक अवधि तक रहा हो।

14/03/16

(2) संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष पर संविदा नियोजन हेतु उक्त विभाग/कार्यालय से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर अन्य विभागों/कार्यालयों से उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। ऐसे चयन में संबंधित पद पर अधिक कार्यानुभव अवधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

691  
15-03-16

(3) सेवा निवृत्ति के उपरांत संबंधित विभाग के उसी पद पर संविदा के आधार पर नियोजित होकर प्राप्त कार्यानुभव के लिए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

7

(4) चूँकि संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित है और प्रथम नियोजन दो वर्षों के लिए किया जाना है अतः वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनको सेवा निवृत्त हुए कम-से-कम समय हुआ हो। अर्थात् संविदा नियोजन में कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(5) वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी जिनकी पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अभ्युक्ति अधिक श्रेष्ठ हो।

(6) सेवा काल में वृहत् दंड प्राप्त अभ्यर्थियों के मुकाबले बेदाग सेवा वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।


2. चयन समितियों द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन पर अनुशंसा करते समय उपर्युक्त प्राथमिकता के आधार पर संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित अंक तालिका के अनुसार अधिकतम 25 अंकों के आधार पर चयन की अनुशंसा की जा सकेगी।

3. सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय संबंधित विभाग / कार्यालय संलग्न अनुसूची-2 में दिये गये जाँच-पत्र में सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. चयन समितियों के समक्ष सेवा निवृत्त हो चुके सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के वही मामले रखे जा सकेंगे जिनके संबंध में विभागों/कार्यालयों के प्रस्ताव चयन समिति की बैठक के एक माह पूर्व प्राप्त हुए हों और उपर्युक्त दिशा निर्देश के आलोक में कार्यालय द्वारा उनकी समीक्षा कर ली गयी हो।

5. भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में संबंधित विभागों/कार्यालयों से प्रस्ताव बहुधा उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व भेजे जाते हैं। इससे ऐसे मामलों में उनके गुण-दोष के आधार पर समीक्षा किये बगैर मामले चयन समिति के समक्ष रख दिये जाते हैं। अतएव सभी विभाग/कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रस्ताव उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि के दो माह पूर्व ही चयन समिति को अनुशंसा सहित अग्रसारित किये जायें।

विश्वासभाजन

  
(अश्विनी दत्त)  
सरकार के अपर सचिव।

जापांक 562.../१२११०, दिनांक - 02/4/2016

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड पिकाख पदाधिकारी/सभी बंचल अधिकारी,  
दरभंगा जिला को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सडा, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को  
सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, इरमंठा जिकिला महाविद्यालय अस्पताल,  
लहेरियासराय, इरमंठा को सूचनाएं एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, इरमंठा जिकिला महाविद्यालय, लहेरियासराय,  
इरमंठा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभासदपालय अर्थात् सभी कार्यलय प्रदान को  
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : इरमंठा जिला अर्थात् सभी संबंधित विभाग के  
कार्यलय प्रदान को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार महाधिकारी, इरमंठा/उप कोषागार उच्च,  
बेनीपुरा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान महाधिकारी, एनए कार्ड सीए,  
इरमंठा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने  
के लिए प्रेषित।

*Raj*  
स्थापना उप निदेशिका,  
इरमंठा

02/04/16  
02/04/16

## अनुसूची - 1

सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण

|   | विचारण क्षेत्र  | अंक  | अधिकतम अंक |
|---|---|--|------------|
| 1 | संबंधित विभाग में उसी पद/समकक्ष पद पर कार्यानुभव  | 1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव - 5 अंक<br>2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव - 3 अंक<br>3. 10 वर्ष से कम कार्यानुभव - 2 अंक                 | 5 अंक      |
| 2 | अन्य विभागों में उसी पद/समकक्ष पद पर कार्यानुभव   | 1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव - 3 अंक<br>2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव - 2 अंक<br>3. 10 वर्ष से अधिक कार्यानुभव - 1 अंक               | 3 अंक      |
| 3 | सेवा निवृत्ति के उपरान्त उसी विभाग में उसी पद पर सविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव | 1. अधिकतम 2 वर्षों का कार्यानुभव - 2 अंक<br>2. 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कार्यानुभव - 1 अंक   | 2 अंक      |
| 3 | सविदा नियोजन के समय उम्र  | 1. 60 वर्ष - 5 अंक<br>2. 61 वर्ष - 4 अंक<br>3. 62 वर्ष - 3 अंक<br>4. 63 वर्ष - 2 अंक<br>5. 64 वर्ष - 1 अंक   | 5 अंक      |
| 4 | पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन                              | 1. प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभ्युक्ति के लिए - 2 अंक<br>2. प्रति वर्ष बहुत अच्छा अभ्युक्ति के लिए - 1.5 अंक<br>3. प्रति वर्ष अच्छा अभ्युक्ति के लिए - 1 अंक | 10 अंक     |
|   |   | कुल अंक  | 25 अंक     |

अनुसूची - 2

पूर्व से सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर  
नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजे जाने हेतु  
जाँच-पत्र

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | विभाग/कार्यालय का नाम।  |  |
| 2. | पद का नाम जिसपर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।  |  |
| 3. | प्रस्तावित पद पर संविदा नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक।  |  |
| 4. | प्रस्तावित पद संकल्प सं० 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।   |  |
| 5. | i. अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पद नाम, (जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ है)।<br>ii. उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि। |  |
| 6. | i. विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है।<br>ii. विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।                             |  |
| 7. | i. अभ्यर्थी की जन्म तिथि<br>ii. सेवा निवृत्ति की तिथि।  |  |
| 8. | अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/ विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।  |  |
| 9. | असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न है या नहीं।                                   |  |

|     |  |             |                  |
|-----|--|-------------|------------------|
| 12. | अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण । | <u>वर्ष</u> | <u>अभ्युक्ति</u> |
|     |  | 1           |                  |
|     |  | 2           |                  |
|     |  | 3           |                  |
|     |  | 4           |                  |
|     |  | 5           |                  |

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।